-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.06.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **सम्पत्ति की लालच में धरादार हथियार से वार कर 02 महिलाओं की हत्या करने वाले वांछित अभियुक्त पर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा 10 हजार रुपये का इनाम किया गया घोषित।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18.06.2022 को सम्पत्ति की लालच में 02 महिलाओं की हत्या करने के मामले में वांछित अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। गौरतलब हो कि थाना गिरवां क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 18.06.2022 को थाना गिरवां क्षेत्र के ग्राम महुआ के रहने वाले कालीचरण पुत्र नत्थू ने थाना गिरवां पर प्रार्थना पत्र दिया कि उसके जीजा रामनरेश त्रिपाठी नि0 लुधौरा थाना अतर्रा व चाचा सन्तोष उर्फ चुनवादिया नि0 महुआ थाना अतर्रा ने सम्पत्ति की लालच में उसकी मां उर्मिला देवी व नानी मालती देवी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इस संबंध में थाना गिरवां पर मु0अ0सं0 131/2022 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियोग में अभियुक्त रामनरेश त्रिपाठी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जबकि दूसरा अभियुक्त संतोष उर्फ चुनवदिया पुत्र रामसजीवन नि0 महुआ थाना गिरवां वांछित चल रहा है जिसकी जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। वांछित अभियुक्त की सूचना जो भी व्यक्ति देगा उसे इनाम दिया जायेगा। सभी से निवेदन है कि वांछित अभियुक्त के कहीं भी दिखने/सूचना मिलने पर इसकी सूचना मोबाइल नम्बर- 9454400257, 9454401029, 9454401355, 9454403047 पर दें।